भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 4202

27.03.2023 को उत्तर के लिए

जलवायु परिवर्तन के प्रभाव

4202. श्री जुएल ओराम :
श्री संगम लाल गुप्ता :
श्री अनुराग शर्मा :
श्री बृजभूषण शरण सिंह :
डॉ. रमापति राम त्रिपाठी :
श्री पी.पी. चौधरी :
श्री प्रताप चन्द्र षडङ्गी :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का मुकाबला करने और इसके साथ-साथ रोजगार सृजन के लिए पर्यावरण के संरक्षण के बारे में जागरूकता पैदा करने के संबंध में विभिन्न राज्य सरकारों के सहयोग से एक कार्य योजना बनाने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में स्थानीय लोगों को रोजगार देने और देश, विशेषकर ओडिशा में जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए कोई विशेष योजना बनाई गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार देश में रह रहे जलवायु से प्रभावित शरणार्थियों की संख्या के संबंध में कोई आंकड़े रखती है;

(घ) यदि हां, तो विगत पांच वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश, राजस्थान और ओडिशा सहित देश में ऐसे शरणार्थियों की संख्या का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या यह सच है कि गत पांच वर्षों के दौरान जलवायु परिवर्तन के कारण आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि हुई है; और

(च) यदि हां, तो ऐसे आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्तियों (आईडीपी) की संख्या का ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा उनके पुनर्वसन के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री अश्विनी कुमार चौबे)

(क) और (ख) भारत की जलवायु परिवर्तन संबंधी कार्रवाइयों का दिशानिर्देशन राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना (एनएपीसीसी) द्वारा किया जाता है, जो अति व्यापक नीतिगत कार्यढांचा है और इसमें सौर ऊर्जा, संवर्धित ऊर्जा दक्षता, जल, कृषि, हिमालयी पारि-प्रणाली, संधारणीय पर्यावास, हरित भारत, मानव स्वास्थ्य और

जलवायु परिवर्तन संबंधी कार्यनीतिक ज्ञान के विशिष्ट क्षेत्रों के राष्ट्रीय मिशन शामिल हैं। इन राष्ट्रीय मिशनों का कार्यान्वयन संबंधित मंत्रालयों और विभागों द्वारा देखा जा रहा है, जिसके प्रत्येक मिशन की अपनी स्वयं की क्षेत्र विशिष्ट कार्य-योजना है। ओडिशा सहित चौंतीस (34) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने जलवायु परिवर्तन संबंधी राज्य विशिष्ट मुद्दों को ध्यान में रखते हुए एनएपीसीसी के अनुसार राज्य जलवायु परिवर्तन कार्य योजना (एसएपीसीसी) तैयार की है।

पर्यावरण को संरक्षित करने वाली संधारणीय जीवन-शैलियों और पद्धतियों के संवर्धन के लिए मिशन लाइफ (पर्यावरण के लिए जीवन-शैली) शुरू किया गया है। यह मंत्रालय, पर्यावरण से संबंधित मुद्दों पर बच्चों/युवाओं को संवेदनशील बनाने और विभिन्न शिक्षा-विज्ञान संबंधी पहलों जैसे कार्यशाला, परियोजना, प्रदर्शनी, अभियान, प्रतियोगिता, प्रकृति शिविर, ग्रीष्म अवकाश कार्यक्रमों आदि के माध्यम से संधारणीय जीवन-शैली अपनाने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम (ईईपी) का संचालन कर रहा है। यह मंत्रालय, पर्यावरण, वन और वन्यजीव क्षेत्रों जैसे कि, परा-वर्गीकी, जैव विविधता संरक्षण, प्रदूषण की निगरानी, जल के लिए बजट तैयार करना और उसकी लेखा परीक्षा करना आदि में युवाओं को दक्ष बनाने के संबंध में हरित कौशल विकास कार्यक्रम (जीएसडीपी) को भी संचालित कर रहा है।

(ग) से (च) आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और अन्य कारणों से लोगों का विस्थापन हो सकता है। यह विस्थापन अस्थायी या स्थायी, अल्पावधिक या दीर्घावधिक हो सकता है, जो अंतर्निहित कारणों पर निर्भर करता है। 1.5 डिग्री से. के वैश्विक तापन संबंधी जलवायु परिवर्तन विशेष रिपोर्ट (2018) पर अंतर-सरकारी पैनल के अनुसार, जलवायु परिवर्तन द्वारा लोगों का सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय कारकों के कारण विस्थापन जटिल और भिन्न-भिन्न प्रकार का है; इसलिए, अवलोकित जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के कारण इसे उत्तरदायी ठहराना या विश्वास की किसी भी सीमा तक इसकी संभाव्यता का आकलन करना चुनौतीपूर्ण है। भारत सरकार द्वारा किए गए किसी भी अध्ययन से यह पता नहीं चलता है कि जलवायु परिवर्तन के परिमाणित योगदान के कारण लोगों का विस्थापन बढ़ा है। हालांकि, केन्द्रीय और राज्य सरकारों द्वारा विस्थापन के कारणों की निगरानी किया जाना जारी रहेगा। मौसम संबंधी आपदाओं के कारण सहायता, पुन:प्राप्ति और पुनर्वास संबंधी कार्यों को अन्य बातों के साथ-साथ आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के संगत उपबंधों और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के दिशानिर्देशों, निदेशों और आदेशों द्वारा संचालित किया जाता है। आपदा प्रबंधन और आपदा जोखिम में कमी करने के प्रासंगिक संवैधानिक, विधायी और प्रशासनिक उपबंध देश में मौसम संबंधी आपदाओं सहित आपदाओं के प्रबंधन के लिए अधिदेशित हैं।

*****